



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

28.10.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 28.10.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.सौरभ संगल पुत्र भूषण संगल निवासी धीमानपुरा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.जीशान उर्फ काला पुत्र शरीफ निवासी मौ0 बडी माता कस्बा व थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आवेदक के फोन पर साइबर ठग द्वारा APK फाइल व लिंक भेजना, आवेदक द्वारा डाउनलोड करने पर फोन हैक हो गया आवेदक द्वारा समय रहते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस शामली को जानकारी दी गई, थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आवेदक के रूपयों की ठगी होने से बचा लिया गया।

ज्ञात हो कि दिनांक 28.10.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस शामली पर आवेदक श्री रवि कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी खेडीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा 01 प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें आवेदक के फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा APK फाइल व लिंक भेजा जिसे डाउनलोड करने पर फोन हैक होकर शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन से उसके फोन में सुरक्षित अन्य जानकारी व्यक्तियों के मोबाइल फोन पर फर्जी एपीके फाइल एवं मैसेज फारवर्ड होने लगे।

साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह निर्देशन में व नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक शामली के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी

थानाभवन/साइबर अपराध के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा दी गई शिकायत के संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के फोन से APK फाइल रिमूव कर व्हाट्सअप रिकवर किया गया, जिससे आवेदक खाते में पड़े 70000/- रुपये की ठगी होने से बच गये। आवेदक का व्हाट्सअप डाटा रिकवर होने पर व साइबर ठगी का शिकार होने से बचने पर आवेदक द्वारा पुलिस टीम की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद पत्र दिया गया।

साइबर ठगी होने से बचाने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्रीमती सीमा शर्मा, थाना साइबर क्राइम जनपद शामली।
2. नि० श्री प्रवीन कुमार, थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद शामली।
3. का० अनुज कुमार थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद शामली।
4. का० अर्चित कुमार, थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद शामली।



थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आवेदक से ऑनलाइन गुड डिलीवरी लेकर ठगी की गई धनराशि में से कुल 2,76,600 रुपये वापस कराये गये ।

ज्ञात हो कि दिनांक 21.12.2025 को साइबर क्राइम पुलिस थाना शामली पर आवेदक श्री यज्ञदत्त शर्मा पुत्र श्री बृजनन्दन शर्मा निवासी रंगाना थाना झिंझाना शामली जनपद शामली द्वारा 01 प्रार्थना पत्र दिया गया था । जिसमें आवेदक को ऑनलाइन गुड की डिलीवरी ले ली गयी जिसमे उसे 90000/- रुपये नगद व 8,43,800/- रुपये का 01 चैक दिया गया था जो खाते में लगाने पर बाउंस हो गया था । आवेदक के साथ कुल 8,43,800/- रुपये की ठगी हो गयी थी ।

साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0 पी0 सिंह निर्देशन में व नोडल अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक शामली के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन/साइबर अपराध के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विपक्षीगण से आवेदक के खाते में दिनांक 05.08.2025 को 1,00,000 रुपये, दिनांक 25.08.2025 को 50,000 रुपये, दिनांक 23.09.2025 को 50,000 रुपये, दिनांक 30.09.2025 को 50,000 रुपये व दिनांक 13.10.2025 को 26,600 रुपये कुल 2,76,600/- की धनराशि वापस करायी गयी । आवेदक की रकम वापस होने पर आवेदक द्वारा पुलिस टीम व उच्चाधिकारीगणों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद पत्र दिया गया ।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्रीमती सीमा शर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद शामली ।
2. नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद शामली ।
3. का0 अनुज कुमार थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद शामली ।
4. का0 अर्चित कुमार थाना साइबर क्राइम पुलिस जनपद शामली ।

